जीसीएमएस नबंरः–2014/00086

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीनः सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0

19/2014

1. ज्ञानचन्द पुत्र पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी 13 क्यू तह0 व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत 11 क्यू जरिये सरपंच 11 क्यू तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
2. ओमप्रकाश पुत्र पृथ्वीराज निवासी 11 क्यू तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
3. सुनील कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी 11 क्यू तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
4. अनिल कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी 11 क्यू तह0 व जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 25–7–96 जिसके रूप से अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा विधिक रूप तरीके से भूखण्ड संख्या–1,2,3 वर्ष 1996 अंकित करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में गलत रूप से किया गया आवंटन निरस्त किये जाने बाबत।

उपस्थित : 1. श्री गुरचरणसिंह, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
2. श्री चरण दास कम्बोज, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

:: आदेश :: दिनांकः– 29.05.2026

प्रस्तुत निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम के मौजिज व्यक्तियों ने अप्रार्थी सं0 2 से 4 को अतिक्रमण हटाने के लिए दिनांक 15–1–14 को कहा तो उन्होनें कहा कि ग्राम पंचायत से पट्टे जारी करवा रखे हैं। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25–7–96 को पंचायती राज प्रावधानों के विपरीत बिना पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये अप्रार्थी सं0 2 से 4 को पट्टे जारी कर दिये गये हैं। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के नियम 157 के अन्तर्गत पुराने बने मकानों का नियमन किया जाकर पट्टे जारी किये जाने का प्रावधान है। राजस्थान पंचायत राज नियम 142 से 167 की पालना नहीं की गई है। नियमन करने के लिए प्रारूप 167(1) जो आबादी भूमि का विक्रय विलेख के अन्तर्गत पट्टा काटा गया है जबकि नियमन के

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

लिए संधारित किया जाने वाला प्रारूप 23 (क) का प्रयोग नहीं किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी से संबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत से मंगवाया गया। निगरानीकृर्ता के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने लिखित बहस में कथन किया है कि हस्तगत प्रकरण में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1953 के नियम 271 के अन्तर्गत आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 25–7–96 को अप्रार्थी सं0 2 ओमप्रकाश को 3000 वर्गफुट, अप्रार्थी सं0 3 सुनील कुमार को 3000 वर्गफुट एवं अप्रार्थी सं0 4 अनिल कुमार को 3000 वर्गफुट का आवंटन किया गया है। आवंटन की दिनांक को राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 1996 के प्रावधान लागू हो गये थे। राज0 पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 167(1) के अन्तर्गत पट्टा जारी किया जाना चाहिये था, जो एस0आर0 रेट/बाजार रेट पर किया जा सकता था। ग्राम पंचायत द्वारा 9000 वर्गफुट आबादी भूमि मात्र तीन हजार रूपये में बेचान कर दी गई है। निगरानीकृत भूखण्ड प्रथमतः ही अवैध हैं। ऐसे अवैध आदेश के विरूद्व मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अपने इस तर्क के समर्थन में आर आर डी 1992 पेज 337 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है। निगरानीकृत भूखण्डों के आवंटन से पूर्व कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। नियम 142 से 162 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अप्रार्थी सं0 2 से 4 के हक में जो आवंटन किया गया है, वे एक ही परिवार के सदस्य हैं। आवंटन विधि के प्रावधानों के विपरीत किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत भूखण्डों का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि निगरानी मियाद बाहर पेश की गई है। प्रत्येक पट्टे की पृथक–2 निगरानी की जानी चाहिये थी। निगरानीकृत आदेश/प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गई है। अपने तर्को के समर्थन में आर आर टी 2017(1) पेज 139, 2016(1) डीएनजे (राज0) पेज 55 एवं आर आर टी 2015 (2) पेज 967 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि निगरानी खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया! पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण को जारी किये गये पट्टों को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया है। सरपंच ग्राम पंचायत 11 क्यू बख्ताना द्वारा निगरानीधीन पट्टे ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 25.07.1996 को स्वीकृत किये जाकर दिनांक 25.07.1996 को निर्धारित राशि 1000/–जमा करवाये जाकर उसी दिन दिनांक 25.07.1996 को पट्टे जारी किये गये है, जो सन्देहास्पद प्रतीत होते है क्योंकि ग्राम पंचायत 11 क्यू बख्ताना द्वारा जो प्रक्रिया पट्टा जारी करने में अपनाई

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

गई वह सन्देहास्पद है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी तीन पट्टो के विरूद्व एक ही निगरानी पेश की है जो राज0 पंचायती राज अधिनियम के तहत बने नियमों के विरूद्व है। अलग–अलग पट्टो के विरूद्व निगरानीकर्ता को अलग–अलग निगरानी पेश की जानी चाहिए थी। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति मय रिकॉर्ड सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भिजवाया जावें। पत्रावली फैंसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तरतीव/तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) * श्रीगंगानगर (राज.) *

Scanned with OKEN Scanner